भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *35
(21 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण रोजगार योजनाएं

***35. श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण रोजगार योजनाओं की प्रभावकारिता की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ऐसी योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितने लाभार्थियों को रोजगार प्राप्त हुआ है;

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए आय के अवसर बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने और इन क्षेत्रों से पलायन को कम करने के लिए कोई नई पहल शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>लोकसभा में दिनांक 21.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 35 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।</u>

(क) और (ख): केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही ग्रामीण रोजगार योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। तदनुसार, वर्ष 2020 में नीति आयोग द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) के कार्यान्वयन का एक स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया था। इसके प्रमुख निष्कर्षों में यह पाया गया कि मनरेगा योजना के कार्यान्वयन में डिजाइन संबंधी गंभीर चुनौतियां थीं, जिनके

परिणामस्वरूप सामुदायिक परिसंपत्तियों की पूर्णता दर कम रही और परिसंपत्तियों की गुणवत्ता, उपयोगिता तथा टिकाऊपन में कमी रही।

मनरेगा योजना के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव तथा मूल्यांकन अध्ययनों में की गई सुझावों और टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, दिसंबर 2025 में "विकसित भारत-जी राम जी" नामक एक नया अधिनियम बनाया गया है और 01.07.2026 से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

पूर्ववर्ती महात्मा गांधी नरेगा योजना और वर्तमान में वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 (16.07.2026 की स्थिति के अनुसार) में रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध** में दी गई है।

(ग) और (घ): (i) विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम गांवों के भीतर दीर्घकालिक रोजगार और आजीविका के अवसर सृजित करके सतत ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने और प्रवासन को कम करने के लिए कई नई पहल शुरू करता है। इसकी प्रमुख पहलों में निम्न शामिल हैं:

- प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना;
- इस अधिनियम के अंतर्गत चार विषयगत ध्यानाकर्षण क्षेत्रों में से एक के रूप में "आजीविका अवसंरचना" की पहचान करना। यह अधिनियम स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए अवसंरचना, ग्रामीण हाट, प्रशिक्षण एवं कौशल केंद्र, भंडारण, मूल्य-संवर्धन और अन्य आजीविका-सहायक अवसंरचना सहित स्थाई एवं उत्पादक आजीविका-संबंधी परिसंपत्तियों के निर्माण का प्रावधान करता है, ताकि स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को मजबूत किया जा सके और सतत आजीविका के अवसरों का विस्तार किया जा सके;
- जल सुरक्षा, मूल ग्रामीण अवसंरचना और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं के शमन से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता देना, जिससे कृषि उत्पादकता में सुधार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती और सतत रोजगार का सृजन अपेक्षित है;
- समग्र ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण आवास, स्वयं सहायता समूहों, कौशल विकास, कृषि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ अभिसरण को बढ़ावा देना।

ग्रामीण विकास विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत कौशल विकास और ग्रामीण युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में अन्य कल्याणकारी योजनाएं भी कार्यान्वित कर रहा है:

(ii) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी में उनके राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को कम करना, ग्रामीण गरीबों की आजीविका को बढाना तथा ग्रामीण गरीब परिवारों को उनके सामाजिक एवं वित्तीय समावेशन के लिए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) में

संगठित करना है। अब तक देश में 10.05 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 92 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जा चुका है।

डीएवाई-एलआरएलएम के अंतर्गत आय के अवसरों में सुधार और सतत आजीविका को बढ़ावा देने के लिए एसएचजी सदस्यों तथा सामुदायिक संवर्गों के लिए एसएचजी प्रबंधन, वित्तीय साक्षरता, आजीविका संवर्धन एवं उद्यम विकास संबंधी नियमित प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

मार्गदर्शी सहायता तथा विस्तार सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि सखी, पशु सखी, वन सखी, मत्स्य सखी जैसे कई सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) को बढ़ावा दिया जाता है और प्रशिक्षित किया जाता है। जून 2026 तक, डीएवाई-एनआरएलएम ने 1.95 लाख कृषि सखियों, 1.78 लाख पशु सखियों, 2,052 मत्स्य सखियों को बढ़ावा दिया है, जो प्रशिक्षित हैं और महिला किसान परिवारों को मार्गदर्शी सहायता प्रदान कर रही हैं।

"लखपति दीदी" पहल डीएवाई-एनआरएलएम का एक परिणाम है, जो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के कार्यक्रम के दृष्टिकोण से सीधे जुड़ा है। लखपति दीदी एक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्य होती है जिसकी वार्षिक आय कम से कम 1,00,000 रुपये होती है।

(iii) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) जैसे कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम - वेतन रोजगार के लिए नियोजन से जुड़ा एक कौशल विकास कार्यक्रम है, और

(iv) ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से कौशल विकास भी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

इन पहलों का उद्देश्य गांवों को अधिक परिस्थिती अनुकूलित, आत्म अनुकूलित और आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर सतत ग्रामीण आजीविकाओं को सुदृढ़ करना, स्थानीय स्तर पर उत्पादक रोजगार के अवसरों का सृजन करना, ग्रामीण आय में वृद्धि करना तथा विवशतापूर्ण पलायन को कम करना है

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 21.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 35 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पूर्ववर्ती महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 (30.06.2026 की स्थिति के अनुसार) के दौरान रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या ।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या			
		2023-24	2024-25	2025-26	2026-27
1	आंध्र प्रदेश	7542774	7523181	6761622	5157171
2	अरुणाचल प्रदेश	282304	311382	359467	73559

3	असम	3347851	2634205	2402476	1275632
4	बिहार	5383600	5617766	5671219	3185441
5	छत्तीसगढ़	4413335	4481600	4009855	2292937
6	गोवा	2186	3192	2585	874
7	गुजरात	1511579	1306178	1029003	381758
8	हरियाणा	523962	478788	376657	45618
9	हिमाचल प्रदेश	949218	1026189	743461	99412
10	जम्मू और कश्मीर	993446	1055725	1064567	212017
11	झारखंड	2559494	2311214	2605327	633119
12	कर्नाटक	5402381	5170308	3932582	1376863
13	केरल	1661622	1540284	1398316	784874
14	लद्दाख	36516	37175	37550	13441
15	मध्य प्रदेश	6373186	5772104	5990054	1556074
16	महाराष्ट्र	4128090	5111881	6173582	2383241
17	मणिपुर	503268	565779	572607	409147
18	मेघालय	629087	544506	575353	193279
19	मिजोरम	211413	211355	220887	199232
20	नागालैंड	468211	216157	286204	113765
21	ओडिशा	4991241	3376513	3564847	885873
22	पंजाब	1015694	984897	899700	243991
23	राजस्थान	8696618	7723308	6017534	2935847
24	सिक्किम	70327	68677	61746	2585
25	तमिलनाडु	7939116	7433944	6259646	3147414
26	तेलंगाना	4062113	4244189	3389129	3152420
27	त्रिपुरा	842843	813522	765320	522080
28	उत्तर प्रदेश	8127953	7582415	6232325	1390720
29	उत्तराखंड	638095	575323	488392	86174
30	पश्चिम बंगाल	9415	0	0	8950
31	अंडमान और निकोबार	5025	3523	2480	1433
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2188	10496	9457	3734
33	लक्षद्वीप	77	0	0	0
34	पुदुचेरी	58705	50264	50137	21266
	कुल	83382933	78786040	71954087	32789941

नरेगासॉफ्ट के अनुसार

वीबी-जी राम जी योजना के तहत 1 जुलाई, 2026 से 16 जुलाई, 2026 की अवधि के दौरान रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या।		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1178855
2	अरुणाचल प्रदेश	6100
3	असम	172673
4	बिहार	67670
5	छत्तीसगढ़	144836
6	गोवा	47
7	गुजरात	35453
8	हरियाणा	8703
9	हिमाचल प्रदेश	39751
10	जम्मू और कश्मीर	92907
11	झारखंड	39262
12	कर्नाटक	88608
13	केरल	331846
14	लद्दाख	7147
15	मध्य प्रदेश	54413
16	महाराष्ट्र	132412
17	मणिपुर	121335
18	मेघालय	6585
19	मिजोरम	3704
20	नागालैंड	552
21	ओडिशा	115896
22	पंजाब	628
23	राजस्थान	686526
24	सिक्किम	16
25	तमिलनाडु	452652
26	तेलंगाना	415223
27	त्रिपुरा	116534
28	उत्तर प्रदेश	681512
29	उत्तराखंड	16887
30	पश्चिम बंगाल	10441
31	अंडमान और निकोबार	247
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	330
33	लक्षद्वीप	0

34	पुदुचेरी	4635
	कुल	5034386

टिप्पणी : वीबी-जी राम जी के तहत 16 जुलाई, 2026 तक दर्ज उपस्थिति के अनुसार।
